International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

लोकसभा चुनाव में दलित महिलाओं की सहभागिता- उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

प्रगति निगम[1], प्रो.गोपाल प्रसाद[2]

[1]सहायक आचार्य, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
[2]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश:
भारत में दलित होना उस पर भी महिला होना दोहरे अभिशाप से भी बुरी स्थिति है क्योंकि दलित महिलाओं को विविधता तथा असमानता पर आधारित दोनों ही प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लिंगभेद के कारण हमारे समाज में महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफी दोयम दर्जे की है, ऐसे में जाति व्यवस्था के कारण जो तबका सामाजिक रुप से और भी ज्यादा वंचित स्थिति में है, वहाँ की महिलाओं के लिए यह अपेक्षा बढ़कर चौहरी हो जाती है।
इंटरनेशनल दलित सालिडैरिटी नेटवर्क ने दलित स्त्रियो से जुड़ी हिंसा को नौ हिस्सो में बाँटा था, इनमे से 6 जाति आधारित पहचान के कारण होती है और तीन लिंगभेद के चलते। जाति के चलते जहाँ दलित महिलाओं को यौन हिंसा, गौली गलौज, मारपीट अन्य तरह के हमलों का शिकार होना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ, लिंगभेद के कारण उन्हें कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और कम उम्र में विवाह के कारण होने वाले कई स्तरों के अत्याचार झेलने पड़ते हैं।

मुख्य शब्द: दलित, सामाजिक हिंसा, राजनीतिक प्रक्रिया, महार, आधुनिकता, रूढ़िवादिता, लोकतंत्र, जनसहभागिता ।

प्रस्तावना:
दलित, मराठी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का एक प्रचलित शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है, शोषित और उत्पीड़ित। दलित शब्द का प्रयोग 1972[1] में 'दलित पैंथर' के गठन के पश्चात प्रचलन में आया जिसका अर्थ है जिसे तोड़ दिया गया है और जिसे उसके सामाजिक दर्जे से ऊपर बैठे लोगों ने जानबूझ कर नियोजित रूप से कुचल डाला है।
पारिवारिक उपेक्षा के साथ-साथ दलित महिलाएँ सीधे तौर पर भी सामाजिक हिंसा के निशाने पर भी सबसे ऊपर रहती है। ऐसे दोहरे भेदभाव के कारण संसद में दलित महिलाओं की सहभागिता बहुत ही

कम मात्रा में है। पिछले दो-तीन दशकों से दलित समस्या पर नये सिरे से अध्ययन प्रारम्भ हुआ। प्रो० रजनी कोठारी द्वारा सम्पादित पुस्तक 'Caste in Indian Politics[2] जो 1970 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक को जाति एक संस्था के रूप में भारतीय राजनैतिक प्रक्रिया, विशेषकर निर्वाचन को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में एलीनर जीलिएट (Eleanor Zelliot) के शोध-पत्र Learning the use of Political Means: The Mahars of Maharashtra[3] में महाराष्ट्र की एक प्रमुख दलित जाति महार द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति उन्नत करने के लिए राजनैतिक साधनों के उपयोग का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मे सदियों पुरानी जाति व्यवस्था व नव-स्थापित राजनैतिक व्यवस्था के संसदीय स्वरूप के बीच संघर्षों को रेखांकित करना एवं एक-दूसरे को प्रभावित करने वाले कारकों को विश्लेषित करना है। Barbara R. Joshi की 1982 में प्रकाशित पुस्तक Democracy in search of Equality: Untouchable Politics and Indian Social change[4] में दलित समस्या के विविध पहलुओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

महिलाओं को पुरूषो के बराबर समान अधिकार व स्वतंत्रता देने की पुरजोर वकालत 2400 वर्ष पहले एथेंस के महान दार्शनिक प्लेटो ने अपने ग्रथ रिपब्लक में की थी । 1869 में जे० एस० मिल का ऐतिहासिक लेखः स्त्रियों की पराधीनता[5] ने महिलाओं को पुरातन संकीर्ण अवधारणाओं से मुक्त करने के साथ-साथ इनमें समान अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने में क्रांतिकारी पहल की।

लुकिसिया, मोट, सुसान बी एंथोनी, सुसान ब्राउन मिलर, सीमेन दी बाऊ आदि ने महिलाओं के प्रति बरते जाने वाले समाजिक भेदभाव के विरूद्ध ही नहीं वरन् राजनीतिक तथा आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों के लिए भी आन्दोलन किये।

6वीं शताब्दी ई. पूर्व में गौतम बुद्ध ने भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद, बहुवेदवाद, रूढ़िवादिता, आडंबर, कर्मकाण्डो तथा जन्म पर आधारित जाति प्रथा के सिद्धांत के विरुद्ध आवाज दी थी। भारत में दलितोद्धार की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण प्रयत्न 15वीं और 16वीं सदी के भक्ति आंदोलन के समय हुआ। जिसका श्रेय अलवर और नयनवार संतो का है, इन भक्तिमार्गी संतो में रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, रैदास, दादू, कबीर, नानक आदि प्रमुख प्रवक्ता थे। भक्ति आंदोलन से दलितों में नई चेतना आई। उनमें अपनी दयनीय सामाजिक स्थिति के प्रति असंतुष्टि की भावना का उदय हुआ और समाज में सम्मानजनक स्थिति के प्रति झुकाव होता चला गया।

सन् 1885 में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ हद तक महिलाओं ने देश की राजनीति में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन मे भाग लेने से महिलओं के अन्दर साहस उत्पन्न हुआ, जिससे उन्हे अपनी शक्ति का अहसास हुआ और उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को देखने की एक नयी दृष्टि भी मिली। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सहभागिता के कारण उनमें नेतृत्व क्षमता जाग्रत हुए और वे घर एवं समाज में अपनी निम्न स्थिति के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए संगठित हुई।

सर्वप्रथम माटेग्यू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनिमय 1919[6] में विधायिका में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों के मनोनयन को मान्यता दी गयी। विभिन्न प्रांतो में अछूतो के लिए कुल

791 में से केवल 7 सीटें निर्धारित किये गये, जबकि अछूतों की जनसंख्या लगभग 20 प्रतिशत थी, ज्ञातव्य है कि तब दलित वर्ग का प्रतिनिधि होने के लिए दलित होना आवश्यक नहीं था, दलितों का हितैषी अथवा पक्षधर होने का दावा करना ही दलित कोटे से विधान परिषद में मनोनित होने के लिए पर्याप्त था। इस तरह 1921 से विधायिका में मनोनयन के माध्यम से विधायिका में दलितों के प्रतिनिधित्व की शुरूआत हुई। डॉ. अम्बेडकर जो दलित समाज के प्रणेता हैं, उनकी दृष्टि मे स्वतंत्र भारत में राजनीतिक शक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसे दलित प्राप्त कर सकते है, बशर्ते कि वह सही रणनीति अपनाए। राजनैतिक शक्ति हासिल करने के पश्चात वे अपना उद्धार स्वयं कर सकते है, जब तक राजनैतिक शक्ति दलितों के हाथों में नहीं आ जाती है, तब तक वे अपनी समस्यायें सुलझाने में समर्थ नहीं हो सकते है। [7] भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉ. अंबेडकर जी ने उठाया था। रिपब्लिक आफ कास्ट[8] आनंद तेलतुमबड़े ने इस पुस्तक में भारत में जातियों के सामाजिक और ऐतिहासिक जीवन का एक बेहद प्रभावशाली वर्णन है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से इन समुदायों को शासन और सत्ता से वंचित रखा गया है। उर्मिला पवार ने अपनी पुस्तक- The Weave of my life: A Dalit Woman's Memoirs[9] आत्मकथा में दलित महिलाओं के अनुभवों की तरफ अपना विशेष ध्यान आकर्षित किया।

"आधुनिकता के आइने मे दलित"[10] (2002) पुस्तक में दलित समस्या एवं दलित आन्दोलनों के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य आधुनिकता के सापेक्ष दलित समस्या की दिशा में उपस्थित बाधाओं एवं समस्याओं की खोज करना। राजवीर सिंह की पुस्तक "डॉ० भीमराव अम्बेडकर' पुस्तक में अम्बेडकर से पूर्व दलित आन्दोलन की स्थिति, दलीय राजनीति की ओर विषयों पर विस्तार से विश्लेषण किया गया है। भारतीय दलित आन्दोलन का इतिहास[11] इस पुस्तक में जो भी दलित है उनके क्रमिक इतिहास का विस्तार से विश्लेषण किया है इस पुस्तक में दलित समाज, दलित अस्मिता-विमर्श तथा दलित आन्दोलन का प्रमाणिक दस्तावेजीकरण तथा तार्किक विश्लेषण किया गया है। रवीन्द्र प्रभात ने अपनी पुस्तक[12] "ताकि बचा रहे लोकतंत्र" में दलितो की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। डॉ० राम गोपाल सिंह ने अपनी पुस्तक भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान (1986)[13] में दलित समस्या का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया है। दलित समस्या के समाधान के संदर्भ में डॉ० अम्बेडकर के दृष्टिकोण के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पहलू की उपादेयता की समीक्षा करना भी इस पुस्तक का उद्देश्य है।[14] डॉ. ब्रज कुमार पाण्डेय की पुस्तक "दलित समस्या की राजनीति" (2003) में दलित समस्या के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया गया है।

भारत की दलित महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, कुछ महत्वपूर्ण दलित महिला नायक- वीरांगना झलकारी बाई जिनसे अंग्रेजो ने रानी लक्ष्मीबाई समझकर काफी देर तक लड़ाई लड़ी। वीरांगना झलकारी बाई का नाम हमेशा इतिहास में अंग्रेजों से लोहा लेने और शहीद होने वालों में याद किया जाता रहेगा। उदादेवी पासी- पति का बदला लेने के लिए 36 ब्रिटिश फौजियों को गोलियों से भून दिया गया था। उदादेवी विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला था।

महावीरी देवी बाल्मीकी- अपने अधिकारो के लिए लड़ने के लिए महावीरी ने 22 महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया था।

दक्षायनी वेलायुधन- संविधान सभा के लिए चुनी गयी 15 महिलाओं में से इकलौती दलित महिला थी इन्हें कुछ ही विधानसभा के लिए नामिनेट किया गया था। कुछ दलित महिला राजनीतिज्ञ-

1. मीरा कुमार 2017 राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित यू०पी०ए० की उम्मीदवार मीरा कुमार 5 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। 1985 में यू.पी. के बिजनौर से चुनावी राजनीति में प्रवेश करने वाली मीरा कुमार ने अपने पहले चुनाव में राम विलास पासवान और मायावती को भारी मतों से हराया था। इसके अलावा वे 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी है। मीरा कुमार पूर्व उप-प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं।
2. मायावती 4 बार उ०प्र० की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती भारत में दलित समाज की बड़ी नेता मानी जाती है। कांशीराम के द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा मुखिया हैं। भारत में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को 1995 में मायावती के रूप में पहली दलित मुख्यमंत्री मिली, जो क्रमश: 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995, 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997, 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तथा 13 मई 2007 से 6 मार्च 2012 तक चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी।
3. गंगा देवी उ. प्र. से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुचीं उन्होंने पहला चुनाव 1952 में कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ-बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से जीता था, दूसरा चुनाव उन्नाव तीसरा, चौथा और पांचवें लोकसभा का चुनाव उन्होंने लखनऊ के पास स्थित मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से जीता।
4. सावित्री बाई फूले- यू०पी० से भारतीय राजनीतिज्ञ है, जो 16 वीं लोक सभा में बहराईच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं।

भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 14, 15 (3), 16, 39, 42, 43, 43 (क), 47 का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में लोकसभा से अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं, राज्यसभा तथा विधान परिषदों में दलितों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, जबकि विधि निर्माण में राज्य सभा तथा विधान परिषदों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद-335 के अन्तर्गत दलितों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया है, इस प्रकार विधियों का क्रियान्वयन तथा विधियों की व्याख्या जैसे शासन के महत्वपूर्ण कार्यों में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है तथा विधि निर्मात्री संस्था में प्रतिनिधित्व अप्रभावकारी है। वि०स० तथा संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण से सम्बन्धित 106वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुका है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 60 साल पहले केवल 4 प्रतिशत था आज भी उनकी संख्या लगभग 14 प्रतिशत के आस-पास पहुंच पायी है। 16 वीं लोकसभा में 543 लोकसभा सीटों में से केवल 61 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की तथा 17वें लोकसभा चुनाव में कुल 78 महिलाएं निर्वाचित हुई,

यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। यू०पी० से 16वीं लोक सभा निर्वचन में 12 महिलाओं को संसद जाने का मौका मिला है जो कि इस प्रकार है-

1. कन्नौज- डिम्पल यादव(Gen)
2. झाँसी- उमा भारती(Gen)
3. पीलीभीत- मेनका गाँधी(Gen)
4. फतेहपुर- निरंजन ज्योति(Gen)
5. बहराईच- सावित्री बाई फूले(S.C.)
6. बाराबंकी- प्रियंका सिंह रावत(S.C.)
7. मथुरा- हेमा मालिनी(Gen)
8. मिर्जापुर- अनुप्रिया पटेलGen)
9. मिसरिख- अंजूबाला(S.C.)
10. रायबरेली- सोनिया गाँधी(Gen)
11. धौरहरा- रेखा वर्मा(Gen)
12. लालगंज- नीलम सोनकर(S.C)

17 वीं लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से 11 महिलाओं को सांसद जाने का मौका मिला जो इस प्रकार है-

1. स्मृति ईरानी- अमेठी(Gen)
2. मेनका गाँधी- सुल्तानपुर(Gen)
3. रेखा वर्मा- धरहरा(Gen)
4. साध्वी निरंजन ज्योति- फ़तेहपुर सीकरी(Gen)
5. सोनिया गाँधी- रायबरेली(Gen)
6. अनुप्रिया पटेल- मिर्ज़ापुर(Gen)
7. केसरी देवी- फूलपुर(Gen)
8. रीता बहुगुणा जोशी- इलाहाबाद(Gen)
9. हेमा मालिनी- मथुरा (Gen)
10. संघमित्रा मौर्य- बदायूँ (Gen)
11. संगीता आज़ाद- लालगंज(SC)

निष्कर्ष:-

विगत वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, उसमें भी दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। दलित महिलाओं को आजादी के इतने सालों बाद भी समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, जब तक औरतों की शासन में सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दलितों के लिए आरक्षित सीटों में भी पुरूषों का वर्चस्व है, तमाम

राजनीतिक जागरूकता के बावजूद भी दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया है। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में नागरिको के सम्पूर्ण भागीदारी से है। सहभागिता लोकतंत्र का मूल आधार होता है, और उसमें भी आधी आबादी को सहभागिता और उसमें भी दलित आबादी की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न मिले तो यह अन्याय का पर्याय है। शासन में जन सहभागिता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती है। बहुत जरूरी है कि जन सहभागिता समावेशी और बहुलवादी हो। भारतीय राजनीति में दलितों की सहभागिता वांछित मानक के अनुसार नहीं है, इसके प्रमुख कारण राजनीतिक जागरूकता की कमी, अल्प राजनीतिक विकास और परिपक्व राजनीतिक संस्कृति का आभाव, व्यक्तिवाद, जातिवाद, अधिनायकवाद, मुद्दाविहीनता, हिन्दुत्वपोषक और भ्रष्टाचार के दलदल में फँसी दलित राजनीति को एक नयी दिशा देना और जब तक सत्ता की आधुनिक छः (6) संस्थाओं- न्यायपालिका, राजनीति, नौकरशाही, विश्वविद्यालय, मीडिया एवं उद्योग में दलितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक उनका सशक्तीकरण नहीं हो पायेगा। इसलिए सत्ता के आधुनिक छः (6) संस्थाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते है, तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में दलित महिलाओं की सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. 1972 में दो दलित कार्यकर्ताओं नामदेव ढसाल और जे०पी० पवार ने मुम्बई में 'दलित पैंथर' का गठन किया। यह नाम अमेरिका के ब्लैक पैंथर आन्दोलन से लिया गया था। वे खुद को पैंथर इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए पैंथरों की तरह लड़ना है न कि अपने उत्पीड़ितों की ताकत के नीचे हमेशा के लिए दबे रहना है। अगस्त 1972 में राजा ढाले ने एक लेख 'काला स्वतंत्रता दिवस' शीर्षक से लिखा जो काफी विवादास्पद हुआ, इस लेख से दलितों से सनसनी फैल गयी और इसी के साथ दलित शब्द प्रचलित हो गया।
2. कोठारी रजनी (एड) कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओरिएंट लॉन्गमैन, हैदराबाद, 1970
3. पाद टिप्पणी-29, पृ० 27-65
4. जोशी बारबरा. आर. समानता की खोज में लोकतंत्र: अछूत राजनीति और भारतीय सामाजिक परिवर्तन, हिंदुस्तान पब्लिकिंग कॉरपोरेशन, दिल्ली, 1962
5. जे एस मिल, स्त्रियों की परंपरा, राजकमल प्रकाशन, 2009
6. चौधरी तू आकर्षक कुमार औपू श्रीकांत, गोल्डन पर धावा बिहार में अंकित आख्यान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ 196
7. पाद टिप्पणी-41, पृ0 156, सिंह राम गोपाल, डॉ. अम्बेडकर का विचार दर्शन, मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2002
8. तेलतुंबडे आनंद, रिपब्लिक ऑफ कास्ट, नारायण प्रकाशन 2018
9. Pawar Urmila: The wave of my life : A Dalit Woman's Memoirs, Columbia Univ pr, 2015

10. कुमार दुबे अभय, आधुनिकता के आईने में दलित, वाणी प्रकाशन ,2002
11. Singh Rajveer : Dr. Bhim Rao Ambedkar, PM publication, 2021
12. प्रभात रवीन्द्र, ताकि बचा रहे लोकतंत्र (उपन्यास), हिंदयुग्म पुस्तक, 2011
13. सिंह राम गोपाल: भारतीय दलित समस्याएं एवं समाधान, मध्य प्रदेश, हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
14. कुमार पांडे व्रज दलित समस्या की राजनीति, Generic publication, 2003.
15. International dalit solidarity network report
16. Election Commission of India.